

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर**::-कार्यालय आदेश ::-**

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में गैर-अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III के पद पर चयनित निम्न अभ्यर्थियों को श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102(202)/सी.भ./पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III/2021-2022 दिनांक 18-06-2023 एवं 14-07-2023 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा दिनांक 23-06-2023 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर पृष्ठांकित सूची में अंकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/- रुपये प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

सम्बंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-

- 1- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 2- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1) डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 3- विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबन्धी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
- 4- आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का एवं नहीं दिये जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
- 5- कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
- 6- कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल, आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वहीं अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
- 7- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य न होने, इनके मिथ्या, त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। तत्संबन्धी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
- 8- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो।
- 9- अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए। एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति कीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।



10- अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस/लोटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

11- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

12- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेंगी।

13- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

14- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9)एफडी(रुल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

15- वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9)एफडी (रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

16- कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपन एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबद्धता {Undertaking} निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

19- अभ्यर्थी विधवा होने की स्थिति में कार्यग्रहण तिथि तक पुनः विवाह नहीं किया है, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे, एवं परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर लेवें।

20- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।

21- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2013 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवम् निष्पक्षता से किये जाने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर 11-08-2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावें एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।
संलग्न :- (कस 01 से 08 तक की सुची)

(कृष्णसिंह महेचा)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

दिनांक :-18.07.2023

क्रमांक :- जिशिअ/मु./माध्य/बाड़/संस्था-3/फा-9/पु.अ.-III/23/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1- श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।

2- श्रीमान् सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।

3- श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।

4- श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर मण्डल जोधपुर।

5- श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर।

6- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बाड़मेर।

7- समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी _____ जिला बाड़मेर।

8- संबंधित पीईईओ/प्रधानाचार्य _____।

9- संबंधित श्री _____।

10- रक्षक पत्रावली।

11- नोटिस बोर्ड।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

क्रमांक :- जिशिश/मु./माध्य/बाड़/संस्था-3/पु0अ0/23/

दिनांक :-18.07.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में गैर-अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों के काउन्सलिंग परचात पदस्थापन/नियुक्ति आदेश

Sr.n.	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FNAME	DOB	CATE	H CATE	GENDER	SEL CATE	APPNO	विद्यालय का नाम	ब्लॉक	PHOTO
1	626846	1211	SANGEETA SANKHALA	GIRDHARI LAL SANKHALA	10-Apr-94	SC	—	Female	SC	202222191227	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SINDHARI (220769) (08170500112)	SINDHARI	
2	630841	36	INDRA	POONAM CHAND	15-Mar-94	OBC	—	Female	GEN	202222089529	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHORIMANA (220915) (08170800121)	DHORIMANA	
3	625044	81	BHANWAR LAL	KESHA RAM	02-Jun-90	OBC	—	Male	GEN	202222149191	BANSRAJ TOMCHAND MONDOWARA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SINDHARI (220770) (08170500501)	SINDHARI	
4	647786	87	BHOMA RAM	MAGHA RAM	17-Mar-93	OBC	—	Male	GEN	202222121088	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NIMBANIYO KI DHANI (220593) (08170210201)	BAITU	
5	645068	126	RAMSWARUP BISHNOI	RAMPAL BISHNOI	09-Jan-95	OBC	—	Male	OBC	202222249510	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KUMPALIYA (220612) (08171109701)	GIDA	
6	634752	155	GORKHA RAM	BHERARAM	02-Aug-98	OBC	—	Male	OBC	202222229272	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VILL GIDA TEH SEDWA DIST BARMER (221017) (08171703301)	FAGLIYA	
7	650115	170	CHAIN SINGH	TEJ PAL SINGH	24-Jun-95	GEN-EWS	—	Male	GEN-EWS	202222267234	MALOO GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMSAR (220837) (08171501101)	RAMSAR	
8	620893	722	SIYA RAM	ALPU RAM	05-May-89	SC	—	Male	SC	202222269417	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SINLI JAGIR (220643) (08170335105)	BALOTRA	

(कृष्णासिंह महेचा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या0)
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर